

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संख्या :- 17-आवंटन(योजना-0206)-254 / 2017.....

वीरेन्द्र कुमार मिश्र, गा0प्र0से0
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना।

समाहर्ता-सह- बन्दोबस्त पदाधिकारी

नालंदा / सारण / भागलपुर / मुंगेर / शेखपुरा / बेगूसराय / लखीसराय / खगड़िया / जमुई /
सिवान / पूर्णियाँ / कटिहार / पूर्वी चम्पारण(मोतिहारी) / प0 चम्पारण(बेतिया) / गोपालगंज /
गया / जहानाबाद / अरवल / औरंगाबाद / नवादा / रोहतास / किशनगंज / अररिया /
मुजफ्फरपुर / सीतामढ़ी / वैशाली / शिवहर / पटना / भोजपुर / बक्सर / कैमूर / बाँका /
दरभंगा / मधुबनी / समस्तीपुर / सहरसा / मधेपुरा एवं सुपौल।

पटना, दिनांक :

विषय :- मुख्य शीर्ष - 2029 - भू-राजस्व - उप मुख्य शीर्ष - 00 - लघु शीर्ष - 103 -
भू-अभिलेख - उप शीर्ष - 0206- राष्ट्रीय भू-अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम (मांग सं0-40),
विपत्र कोड - 40-2029001030206, इकाई कोड - 28 02, विषय शीर्ष - सविदा सेवाएँ
के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में निधि का आवंटन।

व्याख्या :-

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि मुख्य शीर्ष - 2029 - भू-राजस्व - उप मुख्य
शीर्ष - 00 - लघु शीर्ष - 103 - भू-अभिलेख - उप शीर्ष - 0206- राष्ट्रीय भू-अभिलेख प्रबंधन
कार्यक्रम (मांग सं0-40), विपत्र कोड - 40-2029001030206, इकाई कोड - 28 02, विषय शीर्ष -
सविदा सेवाएँ के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में भू-अभिलेख के कम्प्यूटराईजेशन (जमाबंदी का
कम्प्यूटराईजेशन) में 3,08,50,000/= (तीन करोड़ आठ लाख पचास हजार) रुपये मात्र का आवंटन
विवरणी के अनुसार निर्गत किया जाता है।

यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं
पत्रांक संख्या 687 दिनांक 19.05.2017 के आलोक में निर्गत किया जाता है।

अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।

आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं
मासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

बिहार वित्तीय नियामवली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय
पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा
सके।

किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये
तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार
भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र
निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्यय पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी
होगी।

9. इसकी सूचना महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को ही दी जा रही है।

9. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

10. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

विश्वासभाजन

ह0/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र)

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 17-आवंटन(योजना-0206)-254 / 2017..... पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 17-आवंटन(योजना-0206)-254 / 2017..... पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :- सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 17-आवंटन(योजना-0206)-254 / 2017..... पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :- सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 17-आवंटन(योजना-0206)-254 / 2017..... पटना, दिनांक 13/4/18

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना एवं श्री संतोष कुमार, लेखापाल, बी0पी0एम0यू0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

मुख्य शीर्ष - 2029 - भू-राजस्व - उप मुख्य शीर्ष - 00 - लघु शीर्ष - 103 - भू-अभिलेख - उप शीर्ष - 0206 - राष्ट्रीय भू-अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम (भाग सं0-40), विपत्र कोड - 40-2029001030206, इकाई कोड - 28 02, विषय शीर्ष - सविदा सेवाएँ के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में भू-अभिलेख के कम्प्यूटराजईजेशन (जमाबंदी का डिजिटलईजेशन) में 3,08,50,000/= (तीन करोड़ आठ लाख पचास हजार) रुपये मात्र का आवंटन

क्र० सं	जिला का नाम	कुल अंचलो की संख्या	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4
1	नालंदा	20	1000000.00
2	सारण	20	1000000.00
3	भागलपुर	16	800000.00
4	मुंगेर	9	450000.00
5	रोखपुरा	6	300000.00
6	बेगूसराय	18	900000.00
7	लखीसराय	7	350000.00
8	खगड़िया	7	350000.00
9	जमुई	10	500000.00
10	सिवान	19	950000.00
11	पूर्णिया	14	700000.00
12	कटिहार	16	800000.00
13	पूर्वी चम्पारण	27	1350000.00
14	प० चम्पारण	18	900000.00
15	गोपालगंज	14	2000000.00
16	गया	24	1200000.00
17	जहानाबाद	7	350000.00
18	अरवल	5	250000.00
19	औरंगाबाद	11	1900000.00
20	नवादा	14	700000.00
21	रोहतास	19	950000.00
22	किशनगंज	7	350000.00
23	अररिया	9	450000.00
24	मुजफ्फरपुर	16	800000.00
25	सीतामढ़ी	13	650000.00
26	वेशाली	16	800000.00
27	शिवहर	9	450000.00
28	पटना	23	1150000.00
29	मोजपुर	14	700000.00
30	बक्सर	11	550000.00
31	कैमूर	11	550000.00
32	बाँका	11	550000.00
33	दरभंगा	18	900000.00
34	मधुबनी	21	1050000.00
35	समस्तीपुर	20	2500000.00
36	सहरसा	10	500000.00
37	मधेपुरा	13	650000.00
38	रुपौल	11	550000.00
	कुल	634	30850000.00

(तीन करोड़ आठ लाख पचास हजार रुपये मात्र)

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र)

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण